



स्पीड पोस्ट द्वारा



सं. 134/29/प्रशा/रसं(23)/2022 (एफएमएस: 70149)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

रक्षा सम्पदा भवन
उलान बाटर मार्ग, दिल्ली छावनी-10
ई-मेल: ddgadm-dgde@nic.in

दिनांक ०४ जून, 2022

सेवा में,

प्रधान निदेशक,
रक्षा सम्पदा,
मध्य / पूर्व / उत्तर / दक्षिण / दक्षिण-पश्चिम / पश्चिम कमान,
लखनऊ / कोलकाता / जम्मू / पुणे / जयपुर / चंडीगढ़

विषय: रक्षा सम्पदा संगठन में वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) की भर्ती के लिए सीमित विभागीय परीक्षा।

इस महानिदेशालय के पत्र सं. 131/29/प्रशा/डीई(25)/2020 दिनांक 28.09.2020 के संदर्भ में।

2. इस महानिदेशालय के पत्र सं. 131/29/प्रशा/डीई(25)/2020 दिनांक 28.09.2020 द्वारा जारी विज्ञापन के अनुक्रम में तथा रिक्तियों की बढ़ी हुई संख्या पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा सम्पदा संगठन में वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पदों के लिए लेवन-7 के वेतनमान [पूर्व-संशोधित वेतनमान रु.9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड वेतन रु.4600/-] में सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

3. मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 (भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 02 पदों को छोड़कर) के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी, समूह 'ख' ग्रेड में समेकित संभावित रिक्तियां निम्नलिखित हैं: -

क्र. सं.	श्रेणी	पदों की संख्या
1.	छावनी बोर्ड शाखा	07
2.	रक्षा सम्पदा शाखा : - (i) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा में दिनांक 15.07.2022 तक 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I (अब कार्यालय अधीक्षक)। (ii) कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I (अब कार्यालय अधीक्षक), आशुलिपिक ग्रेड-I और कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने दिनांक 15.07.2022 तक कुल 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।	08
	कुल	15

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण भी मौजूदा सरकारी निर्देशों के अनुसार किया गया है और इन श्रेणियों के लिए आरक्षित पद निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	शाखा	कुल रिक्ति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	छावनी बोर्ड शाखा एवं भूतपूर्व सैनिक शाखा	09*	07	01	01
2.	रक्षा सम्पदा शाखा	08	06	01	01

टिप्पणी: 02 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित हैं।

5. परीक्षा की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी यथासमय दे दी जाएगी। रक्षा सम्पदा संगठन और छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए अर्हता मानदंड नीचे दिए गए हैं - :

रक्षा सम्पदा कर्मचारियों के लिए

- (क) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा में दिनांक 15.07.2022 तक 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 (अब कार्यालय अधीक्षक)।
- (ख) कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 (अब कार्यालय अधीक्षक), आशुलिपिक ग्रेड-1 और कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने दिनांक 15.07.2022 तक कुल 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

नोट: केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी कर्मचारी की 20 वर्ष की अर्हक सेवा की गणना करते समय यह देखा जाएगा कि उसका रक्षा सम्पदा सेवा/छावनी बोर्ड, जैसा भी मामला हो, में स्थायी रूप से आमेलन कर लिया गया हो।

छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिए

छावनी बोर्डों के वे कर्मचारी जो 1400/- प्रतिमाह (पूर्व-संशोधित) से कम मूल वेतन आहरण नहीं कर रहे हैं और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/स्कूल से दसवीं अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की है; और;

छावनी बोर्ड में दिनांक 15.07.2022 तक कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

6. आपसे अनुरोध है कि अपने निदेशालय तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन डीईओ सर्किलों एवं छावनी बोर्डों के फील्ड कार्यालयों में इसे व्यापक रूप से परिचालित करें और निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में भरे हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की विधिवत पुष्टि करते हुए दस्तावेजों के साथ इस महानिदेशालय (प्रशासन अनुभाग) को भेजें। आवेदन अग्रेषित करते समय वेतमान और अर्हता मानदंड सही है इसकी शुद्धि का सत्यापन निदेशालय द्वारा अवश्य किया जाए। इस महानिदेशालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **15.07.2022** है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। महानिदेशालय को सीधे भेजे गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को यह सलाह भी दी जाती है कि आवेदन पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूरे किए गए अर्हता मानदंड को उनके सेवा अभिलेख से सत्यापित किया जाए और उनके आवेदन इस महानिदेशालय को अग्रेषित करते समय संबंधित अभ्यर्थी की मौजूदा सतर्कता स्थिति का भी उल्लेख किया जाए।

8. इस परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम की प्रति भी सभी संबंधितों को परिचालित करने के लिए संलग्न है।
9. कृपया सुनिश्चित करें कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु यथासमय सभी रक्षा सम्पदा अधिकारियों और मुख्य अधिशासी अधिकारियों को परिचालित कर दी गई है। इस आशया की पुष्टि की जाए।
10. आगे सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हता मानदंड पूर्ण करते हैं और जिन्होंने इस महानिदेशालय के नोट सं. 131/29/प्रशा/डीई(25)/2020 दिनांक 28.09.2020 के अनुसरण में उपरोक्त पद के लिए पहले भी आवेदन किया हुआ है, **उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पूर्व में भरे गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।**

अमित कुमार
(अमित कुमार)

उप महानिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, रक्षा सम्पदा

प्रतिलिपि :-

निदेशक, निदेम, दिल्ली छावनी-10

महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के कार्यकारी प्रधान निजी सचिव

डीजीडीई (समन्वय) : डीजीडीई में परिचालित करने के लिए।

सभी सीईओ/डीईओ/एडीईओ (स्वतंत्र)

राजभाषा अनुभाग/एयू एवं आरसी

डीएमएस/गार्ड/प्लोट फाइलें

डीजीडीई (आईटी) – इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-I : छावनी प्रशासन

1. छावनी की परिभाषा और परिसीमन।
2. छावनी बोर्डों का गठन।
3. निर्वाचन सूची तैयार करना और चुनाव करवाना।
4. कर और गैर-कर उपायों के माध्यम से विकास और संसाधन जुटाने सहित वित्तीय प्रबंधन।
5. छावनी बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और दुर्ग अभियंता के कर्तव्य, निर्वाचित सदस्यों और कार्यकारी स्कन्ध के बीच अंतर्क्रिया।
6. छावनी क्षेत्रों में सिविल प्रशासन का लोकतंत्रीकरण। सिविल एरिया कमेटी का गठन और शक्तियां।
7. केंद्र सरकार और जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा छावनी प्रशासन का नियंत्रण और पर्यवेक्षण।
8. सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन के लिए छावनी बोर्ड की शक्तियां, जन स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, चिकित्सा राहत, वेक्सीनेशन और टीकाकरण, पर्यावरण स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, जन सुविधा, सार्वजनिक परिवहन, पुस्तकालय, पार्क, सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाओं सहित सार्वजनिक और सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध कराना।
9. छावनी बोर्ड, सार्वजनिक बाजारों, वधशालाओं, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम संबंधी नियामक प्रकार्य।
10. छावनी बोर्डों के अनिवार्य और विवेकाधीन कर्तव्य।
11. छावनी निधि का विनियोग और संपत्ति का प्रशासन।
12. सिविल क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों और भूमि प्रबंधन का विनियमन।
13. उप-विधियों और व्यापार नियमों को तैयार करने सहित प्रत्यायोजित कानून से संबंधित उपबंध।
14. छावनी में सौंदर्यकरण के उपाय।

प्रश्न पत्र-II : भूमि प्रशासन

1. छावनियों में विभिन्न भूधृति - सीएलएआर 1925 और सीएलएआर 1937 के अंतर्गत ओल्ड ग्रांट / छावनी कोड पट्टे।
2. छावनी भूमि प्रशासन नियमों के अधीन भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण।
3. रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा अभिरक्षा, प्रबंधन और नियंत्रण प्रयोजनों के लिए भूमि का वर्गीकरण।
4. पट्टा धारिता आधार पर भवन स्थलों का आबंटन।
5. रक्षा भूमि के कृषि पट्टे के अनुदान की शर्तें।
6. सिविल और बंगला क्षेत्रों के लिए संशोधित भूमि नीति।
7. किराये की मानक तालिका तैयार करने के लिए सिद्धांत और प्रक्रिया।
8. छावनी के बाहर विभिन्न प्रकार की रक्षा भूमि की अभिरक्षा, नियंत्रण और प्रबंधन।
9. भूमि की बहाली से संबंधित विधि और प्रक्रिया।
10. अधिशेष भूमि और संपत्ति का निपटान।
11. रक्षा प्रयोजनों से संपत्तियों (भूमि और भवनों) को किराए पर लेने, मांग और अधिग्रहण के लिए रक्षा सम्पदा सेवा की प्रकार्यात्मक भूमिका।
12. अतिक्रमणों का पता लगाने, उनको हटाने और क्षति की वसूली।
13. छावनी क्षेत्रों में किराया नियंत्रण कानूनों का सामान्य प्रयोग।

प्रश्न पत्र-III : सामान्य अंग्रेजी

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे :-

भाग-I : सामान्य अंग्रेजी

अभ्यर्थी की सामान्य जागरूकता और स्वयं को स्पष्ट और तार्किक रूप से व्यक्त करने की उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए सामयिक हित के एक विषय पर निबंध। सुझाए गए कुछ विषय हैं:- राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण, ऊर्जा संकट, पूंजीवाद बनाम समाजवाद, अहिंसा, भारतीय गांवों में जीवन, लोकतंत्र बनाम अधिनायकतंत्र, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान, अस्पृश्यता, परमाणु युद्ध, मानवाधिकार,

क्रमशः ... 3/-

2. सार लेखन।

3. पत्र, कार्यालय ज्ञापन जैसे कार्यालयी पत्राचार का मसौदा तैयार करना।

भाग-II : सामान्य ज्ञान

1. प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, संघ न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ और राज्यों के बीच संबंधों, संविधान में एकता विशेषताएं, संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, राजभाषाओं के विशेष संदर्भ में भारत का संविधान।
2. भारतीय इतिहास - गांधीवादी दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन।
3. सामयिक विषय।

**रक्षा सम्पदा संगठन में मुख्य अधिशासी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद हेतु
सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र**

भाग-I

1. आवेदक का नाम :
2. पदनाम :
3. कार्यालय का पता :
4. स्थायी पता :
5. जन्म तिथि :
6. शैक्षिक योग्यता :
7. जारी सेवा में प्रवेश की तारीख :
8. अर्हता सेवा की अवधि :
9. आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को वर्तमान वेतन :
10. क्या पहले भी परीक्षा में शामिल हुए हैं :
11. यदि 'हां' तो प्राप्त किए गए अवसरों का विवरण दें :-
 - (i) परीक्षा में शामिल होने का माह एवं वर्ष और रोल नंबर :
 - (ii) पूर्व प्रयास (प्रयासों) का परिणाम -

I	II	III	कुल
परिणाम			

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है। मैं सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सर्वथा पात्र हूँ। कोई भी जानकारी झूठी पाए जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग-II

उपरिलिखित पदाधिकारी की आयु, शैक्षिक योग्यताएं, वेतन तथा अर्हता सेवा से संबंधित विवरण मेरे द्वारा उसके सेवा अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है।

स्थान :
दिनांक :

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम मोहर सहित